

नाम न्यायालय हायकोर्ट (फास्ट ट्रैक) आमर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 15/2025

(सी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/6/25	<p>पत्रावली पेशा डेस्क / अधिवक्ता पार्टी उपस्थित। कदम डायनामा सी. आई. पर सुनी गई।</p> <p>पार्टी अधिवक्ता द्वारा जो कि ग्राहक शिरोही तहसील कोट गिराजपुर स्थित शूकि आ. व. नं. 686 व 692 कुल क्षेत्रफल किरा 7 कुल रकम 1.79 है। के तदर्थ में विधिक विभाजन के आदेश का मूलवाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे तदर्थ में प्रविष्टा गण / कर्जापत्रों की कोर से कर्जापत्रों विधिक विभाग को न्यायालय द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही विभाजन के तदर्थ में प्रस्तुत तथ्यों व अनेक अनुसंधान विभाजन बाकल किती को उभार की कोर मान्य / कर्जापत्र, विधिक / औपचारिक आपत्ति ही प्रस्तुत की गई है जो कि अतिरिक्त की आज्ञा दिनांक 24/6/25 को उभारि स्थान कोर का कोर समुचित खंडन को प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वाद कदम को उभार को शूकि वादांतर बाकल प्रयासिती काफर वरवा जगा अप्रस्तुत व न्यायोचित है। कोर: कर्जापत्रों को तदर्थ मूलवाद शूकि वादांतर की शूकि व रिकॉर्ड की प्रयासिती काफर खप जग बाकल किपेधारा से पाषण्ड फलनामा जके।</p> <p>इसको पार्टी अधिवक्ता की</p>

फर्द अहकाम

बालुराम बनाम राजलाल

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर

संख्या

15/2025

(ली. का. ई.)

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/6/25	<p>रिपोर्ट की अधीनस्थित वापस रख जाने के बाद अम्पाई रिपोर्ट के पाठ्यक्रम जारी है तथा स्पष्ट निष्पत्ति है कि जनकमाल कारी राजकीय योजनाओं के परिपेक्ष्य में प्रदत्त अम्पाई की डिपॉजिटरी शक्ति अम्पाई के संदर्भ में प्रदत्त अम्पाई की डिपॉजिटरी / प्रचलित अम्पाई की शक्ति के संदर्भ में। आज अम्पाई के पूर्व प्रदत्त रिपोर्ट अम्पाई की डिपॉजिटरी के संदर्भ में अम्पाई प्रकाशित नहीं होगी। निर्णय आज अम्पाई को सुरक्षात्मक रूप से सुनाया गया।</p> <p>जमानत प्रदान शुभानु होकर। अम्पाई के वम है। अम्पाई अम्पाई अम्पाई</p> <p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>